न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिकप्रकरण क0-162/07</u> <u>संस्थापित दि0 31/12/01</u> फाईलिंगनं.233504000062007

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----अभियोजन

-: विरूद्ध :-

- 1. फागू पिता सुक्कू, उम्र 38 वर्ष,
- 2. बबलू पिता सुक्कू, उम्र 35 वर्ष,
- 3. गोपाल पिता मोड्डा, उम्र 37 वर्ष, सभी:—जाति कोरकू, पेशा मजदूरी, ग्राम बोड़ना, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक— 20 / 09 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 326, 324, 294, 506 भाग—2 एवं 25 आयुध अधिनियम के तहत् अभियोग है कि दिनांक 15/12/01 को शाम 6 बजे ग्राम बोड़ना में आम रास्ते पर सोमजी को माँ बहन को अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया, आपने सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर बनाया जिसकी आपूर्ति में आप बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार चाकू से स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की, आपने सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय आरोपीगण के साथ मिलकर बनाया जिसकी आपूर्ति में आप बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार चाकू से स्वेच्छया घोर उपहित कारित की, आपने सोमजी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया। आपने अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के 13 इंच लंबी मुठ वाली लोहे की गुप्ती सार्वजनिक स्थान में रखी।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम बोड़ना का पुस्तौनी निवासी है, बैतूल कालेज में एम.ए. कर रहा है। आज वह छुट्टी होने के कारण उसके घर ग्राम बोड़ना आया था करीब 6 बजे वह किराना की दुकान में किराना लेने जा रहा था, उसके साथ बबलू सोनारे भी था तथा उसका छोटा भाई फत्तेसिंह भी था कि रास्ते में फागू, बबलू और गोपाल जो उसके ही समाज के है मिले

बबलू के हाथ में चाकू का था जो अचानक उसके पेट के दांहिने तरफ एक पीठ में चाकू से चार जगह मारा, चाकू लगने से खून बहने लगा तथा फागू और गोपाल बोले कि मादर चोद बडा होशियार बनता है इसे आज जान से मार डालते है फिर उसका भाई चिल्लाने लगा, तो तीनों भाग गये। फिर उसे बैलगाडी से लाने लगे रास्ते से जीप में लाये है।

- 3— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 तैयार किया गया है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अप0कं0—341/01 भा.द.सं धारा—326,324, 294, 506, 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 16/12/01 को नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 16/12/01 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 02 एवं प्र0पी0 09 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया। किन्तु बचाव साक्षी न मिलने पर बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

5- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1— ''क्या दिनांक 15/12/01 को शाम 6 बजे ग्राम बोड़ना में आम रास्ते पर सोमजी को माँ बहन को अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया?''
- 2— ''क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर बनाया जिसकी आपूर्ति में तूम बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार चाकू से स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की?''
- 3— ''क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय आरोपीगण के साथ मिलकर बनाया जिसकी आपूर्ति में तुम बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार चाकू से स्वेच्छया घोर उपहित कारित की?''
- 4— ''क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सोमजी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया?''
- 5— ''क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के 13 इंच लंबी मुठ वाली लोहे की गुप्ती सार्वजनिक स्थान में रखी?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 2, 3 का निराकरण

6-

सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं 2, 3 का निराकरण किया जा

रहा है जिससके साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

7— अभियोजन साक्षी डॉ०एस० शुक्ला (अ०सा०—०७) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 15/12/01 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस कांस्टेबल दौलत 505 थाना आमला सोमजी पिता बुद्धू को परीक्षण के लिये लाया, जिसमें उसने निम्न लिखित चोट पाई। चोट कं0—1 कटा हुआ घाव 2 गुणित 1 से०मी० का छाती पे दांहिने भाग में आगे की तरफ। चोट कं0—2 कटा हुआ घाव 2 गुणित 1 से०मी० का दांहिनी तरफ छाती में। चोट कं0—3 कटा हुआ घाव छाती में पीछे की तरफ। चोट कं0—4 कटा हुआ घाव 1 गुणित 5 से०मी० का पेट में दांहिनी तरफ। अभिमत्ः—ये सभी चोटे पेनिट्रेटिंग घाव थे ये सभी चोटे कड़े एवं धारधार हथियार से आना सम्भव है ये सभी चोटें 12 घंटे के पूर्व की थी, इन सभी चोटे के लिए मरीज को जिला चिकित्सालय बैतूल भर्ती एवं ओपिनियन के लिए भिजवाया था जो प्र०पी०—8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

8— गवाह ने अपनी साक्ष्य से चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 को सत्यापित किया है और बचाव पक्ष के द्वारा मात्र यह सुझाव दिया गया है कि चोट किसी नुकीली वस्तु पर गिरने से आ सकती है। किन्तु उक्त तथ्य के संबंध में ऐसा कोई सुझाव फरियादी की प्रतिपरीक्षा में नहीं लाए गए हैं। इस प्रकार डॉ० एस० शुक्ला की साक्ष्य के अनुसार घटना दिनांक को आहत के छाती एवं पेट के दांहिनी तरफ धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहित कारित हुई।

9— अभियोजन साक्षी रमेश (अ०सा०—०९) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 16.12.2001 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत् था। उक्त दिनांक को रात्रि 2:10 मिनट पर उसके द्वारा सर्जीकल वार्ड में भर्ती था। सोमजी पुत्र बुद्धू, उम्र—23 वर्ष, नि0 बोड़ना थाना आमला का परीक्षण किया था उसके परीक्षण के दौरान वह होश में था, उसके शरीर पर छाती में पाँच घाव थे एवं पेट के उपर एक घाँव था जिसके लिए उसे ऑपरेशन की सलाह दी गई थी उसकी बेड—हेड टिकिट प्र0पी0—13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उसी दिनांक को आह्त का ऑपरेशन किया था आह्त के पेट के एक गहराघाव था जो लीवर तक पहुंचा था आह्त का लीवर फट गया एवं उसके पेट में रक्त जमा हो गया था आह्त को आई चोटे गंभीर प्रकृति थी उसके बेड़—हेड टिकिट प्र0पी0—14 एवं 15 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर है आहत को दिनांक 26.12.2001 को पूर्ण स्वस्थ होने के कारण डिस्चॉर्ज कर दिया गया था।

10— इस गवाह के द्वारा आहत सोमजी के शरीर पर छाती में पांच घाव थे एवं पेट के उपर एक घाव था जिसका इस गवाह के द्वारा ऑपरेशन किया गया था आहत् के पेट में एक गहरा घाव था जो लिवर तक पहुँचा था आहत् का लिवर फट गया एवं उसके पेट में रक्त जमा हो गया था। आहत को आई चोट गंभीर प्रकृति की थी। जिसे इस गवाह के द्वारा उसकी बेड हेड टिकिट प्र0पी0 13, 14 एवं 15 को सत्यापित किया है और उक्त चोटों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है जिसे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति पेड के उपर से या उंचाई से नुकीले तुकडे पर गिर के लुढ़कता है तो इस प्रकार की चोट आना संभव है। किन्तु उक्त स्वीकृत तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से आहत सोमजी की प्रतिपरीक्षा में उक्त तथ्य नहीं लाए गए है, जिससे यह स्पष्ट है कि आहत् सोमजी के पेट में जो लिवर तक गहरा घाव था वह गंभीर प्रकृति का था। अर्थात् सोमजी को स्वेच्छया घोर उपहित कारित हुई।

11— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सोमजी के पेट में धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहित एवं स्वेच्छया घोर उपहित कारित की गई थी।

12— अभियोजन साक्षी सोमजी (अ0सा0—01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके साथ बबलू सोनारे और उसका छोटा भाई फत्तेसिंग था। वह लोग जब किराना दुकान जा रहे थे तो रास्ते में गोपाल मिला और उससे चिकल्स हो गयी थी, तभी बबलू अचानक आया और उसे गुप्ती मारी जो उसके बाजू में पेट में लगी, उसको 6 जगह गुप्ती से मारा था। फागू ने उसको पकड़ के रखा था। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। बल्कि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसको बबलू ने ही गुप्ती से मारपीट की थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसको चाकू एवं गुप्ती में अंतर समझता है। ऐसा नहीं हुआ था कि उस दिन बबलू उसको चाकू से मारा था। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि गुप्ती से मारा था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि गुप्ती मारने के अलावा उसके साथ कोई बात नहीं की थी। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी बबलू के द्वारा धारदार गुप्ती से छाती में मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित एवं पेट में मारकर स्वेच्छया उपहित एवं लिवर तक गहरा घाव पहुँचाकर उसमें खून जमा होने से स्वेच्छया घोर उपहित कारित हुई।

13— डॉ० एस०शुक्ला (अ०सा०७) ने अपनी साक्ष्य में चोट कं 1 से 4 जो बताई है और उक्त चोटें धारदार हथियार से आना स्पष्ट रूप से बताया है उसी प्रकार डॉ० रमेश बडवे (अ०सा०७) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि आहत के छाती एवं पेट में एक गहरा घाव था जो लिवर तक पहुँचा था आहत का लिवर फट गया एवं उसक पेट में रक्त जमा हो गया था। आहत को आई चोट गंभीर प्रकृति की थी। उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य से स्वेच्छया उपहित एवं स्वेच्छया घोर उपहित की पृष्टि करती है।

14— फरियादी सोमजी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि बबलू अचानक आया और उसे गुप्ती मारी, उसे बाजू में पेट में लगी उसको 6 जगह गुप्ती से मारा था, फागू ने उसको पकड़ कर रखा था। इस प्रकार फरियादी सोमजी की साक्ष्य के अनुसार फागू ने उसको पकड़कर रखा था उक्त तथ्य ही सामान्य आशय के अग्रशरण को स्पष्ट करता है और उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन व चुनौती नहीं दी गई है। उक्त तथ्य को खंडन व चुनौती न देने कारण यही माना जायेगा कि अभियुक्त बबलू और फागू के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में गुप्ती से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित एवं स्वेच्छया घोर उपहित कारित की गई।

15— फरियादी सोमजी (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्तगण मारपीट करने के बाद भाग गए थे उसके भाई को उठाकर बबलू के घर लाए फिर बैलगाडी से रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना आमला लेकर गए। उसने रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आगे गवाह ने यह भी बताया है कि बैतूल हास्पीटल में 20—22 दिन लगभग भर्ती रहा था। पुलिस ने उसके पेंट और टी शर्ट जप्त किए थे। पुलिस ने जिसकी लिखा पढी की थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तथ्य के संबंध में भी बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन व चुनौती नहीं दी गई हैं उक्त तथ्यों को खंडन व चुनौती न देने के कारण प्र0पी0 1 की रिपोर्ट प्रमाणित है। उक्त रिपोर्ट को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आहत सोमजी बैतूल अस्पताल में 20—22 दिन भर्ती रहने के तथ्य ही स्वेच्छया उपहित एवं घोर उपहित के तथ्य को स्पष्ट करते हैं, और यह भी स्पष्ट होता है कि जो गुप्ती से मारपीट की गई है और आहत सोमजी के जो प्र0पी0 2 के अनुसार कपड़े जप्त किए गए है उक्त जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 भी प्रमाणित होती है, जो कि घटना की पृष्टि करते हैं।

16— फरियादी सोमजी (अ०सा०1) ने अपनी संपूर्ण मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त गोपाल के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में किसी प्रकार से सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर मारपीट की गई हो, सहयोग किया गया हो, उक्त तथ्य साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त गोपाल के विरुद्ध स्वेच्छया उपहित और स्वेच्छया घोर उपहित के तथ्य स्पष्ट नहीं होते है।

बचाव पक्ष के विद्धवान अधिवक्ता की ओर से मौखिक तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि सामान्य आशय के अग्रशरण में चाकू से मारपीट नहीं की गई है। साथ ही स्वयं फरियादी ने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में गुप्ती से मारना स्वीकार किया है। गुप्ती एवं चाकू में बहुत अंतर है जो कि विरोधाभाष उत्पन्न करता है। फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर चाकू से मारना बताया है। प्रकरण में चाकू की जप्ती नहीं बनाई गई है। अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है। किन्तु उक्त मौखिक तर्क का लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 9 फरियादी के द्वारा सत्यापित किया है। और अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षाा में गुप्ती से मारपीट करना बताया है। साथ ही चाकू एंव गुप्ती में बडा कोई अंतर नहीं होता है। साथ ही डाँ० एसशुक्ला एवं डाँ रमेश बडवे के द्वारा जो गंभीर प्रकृति की चोट बताई गई है वह चोट धारदार वस्तु से आना स्पष्ट है भले वह चाकु या गुप्ती से पहुँचाई गई हो। फरियादी सोमजी ग्रामीण स्तर का व्यक्ति है और वह गुप्ती को चाकू भी बता सकता है और चाकू को गुप्ती भी बता सकता है। उक्त दोनों तथ्य तात्विक प्रकृति को विरोधाभाष नहीं है। उक्त परिस्थिति में बचाव पक्ष की ओर से किया गया मौखिक तर्क का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष एवं लोप है । वे प्रकरण में आरोपीगण की भूमिका के संबंध में पृथक—पृथक रूप से बढाचढ़ाकर कथन कर रहे है जिस कारण से इनका साक्ष्य विश्वसनीयता के अयोग्य है । बचाव पक्ष के तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में

मिथ्या का सिद्धांत भारतवर्ष में एक दृढ़ सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं है । शायद ही ऐसा कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य का मिश्रण न हो और उसके द्वारा घटना का बढ़ाचढ़ा कर वर्णन न किया गया हो। ग्रामीण परिवेश के साक्षी स्वभाविक तौर पर आरोपीगण को ज्यादा सजा दिलाने के उद्देश्य से घटना का बढ़ाचढ़ाकर वर्णन करते है परंतु इतने मात्र से उनके संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता । यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सत्य—असत्य के मिश्रण में से सत्य भाग को अलग करें और उसके आधार पर प्रकरण का निराकरण करें । इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के कथनों में जो थोड़े बहुत विरोधाभाष है उस आधार पर उनका संपूर्ण साक्ष्य अमान्य नहीं किया जा सकता । न्यायालय के इस मत का समर्थन न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध गनी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1954 एस.सी. 31 एवं न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008 एम.पी.एच.टी. 234 से भी होता है । अतः बचाव पक्ष को प्रस्तुत तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता महोदय ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि प्रकरण के विवेचक एल.पी. चंदेरिया का मात्र मुख्य परीक्षण हुआ है जबकि प्रतिपरीक्षण हेतु अभियोजन उन्हें प्रस्तुत नही कर सका है ऐसी स्थिति में विवेचक का साक्ष्य न होने के कारण आरोपीगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। प्रतिरक्षा पक्ष के इस तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.वि. के संबंध में अभियोगी घनश्याम के साक्ष्य में कोई भी विसंगति या लोप प्रतिरक्षा पक्ष दर्शित कर पाने में असफल रहे है। जबकि अभियोगी के साक्ष्य में कोई भी विसंगति या लोप नहीं है तब ऐसी स्थिति में विवेचक के औपचारिक साक्ष्य न होने के कारण ही यह नहीं माना जा सकता कि बचाव पक्ष अपनी प्रतिरक्षा कर पाने में प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ। अतः विवेचक के प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित न होने पर भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं होता। न्यायालय के इस मत का समर्थन न्यायदृष्टांत मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित न्यायदृष्टांत <u>स्टेट ऑफ</u> कर्नाटका विरुद्ध भास्कर कुसाली कोठारकर एवं अन्य (2004) 7 एस.सी.सी. 487 एवं बहाद्र नायक विरूद्ध बिहार राज्य (2000) 9 एस.सी.सी. 153 से भी होता है। एवं वीरेन्द्र राय एवं अन्य विरूद्ध बिहार राज्य (2004) 9 एस.सी.सी. 719 से भी होता है।

20— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं करवाया गया है। जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्यक रूप से प्रमाणित नहीं कही जा सकती। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से तात्पर्य अपराध की इत्तिला है, जो कि फरियादी द्वारा थाना पर दी गयी है और उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 के फरियादी द्वारा स्वयं लेख कराना व्यक्त किया गया है। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 को प्रमाणित किया गया है। ऐसी दशा में मात्र लेखक द्वारा यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं भी की गयी है और ऐसे लेखक का परीक्षण नहीं करवाया गया है। तब पर भी इससे अभियोजन का मामला दूशित नहीं होता। ऐसा ही मत मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत अशोक और अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य आई.एल.आर. {2008} एम.पी. 2997 में भी व्यक्त किया गया है।

21— अभियोजन साक्षी किशोरी (अ०सा0—02), अभियोजन साक्षी ठेपा (अ०सा0—03) और अभियोजन साक्षी बबलू (अ०सा0—04) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना का समर्थन नहीं किया है।

22— डॉ० आर० के नाचनकर (अ०सा०—०६) ने डॉ पी०के० तिवारी के द्वारा आहत सोमजी के छाती और पेट का एक्सरे किया था जिसमें एक्सरे पर कोई अस्थि मंग नहीं पाया और पेट के एक्सरे में डाईफ्राग्मा के नीचे कोई स्वतंत्र रूप से गैस होना नहीं पाया। इस प्रकारा इस गवाह ने कोई गंभीर प्रकृति की चोट नहीं बताया है। किन्तु उक्त गवाह की साक्ष्य के अनुसार डॉ० एस० शुक्ला (अ०सा०७), डॉ० रमेश बडवे (अ०सा०७) की साक्ष्य को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता। उक्त साक्षियों ने धारदार हथियार एवं चोट गंभीर प्रकृति की होना बताया है, जो कि विश्वसनीय है।

अभियोजन साक्षी फतेहसिंह (अ०सा०-०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे रास्ते में आरोपी फागू, बबलू एवं गोपाल मिले और तीनों उसके भाई सोमजी के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट से मेरे भाई को काफी चोंट आई थी। मारपीट से मेरे भाई के पेट में गहरी चोट आई थी। चोट से खून निकल रहा था। घटना पुरानी होने से उसे ठीक से याद नहीं है। शासन द्वारा पक्षविरोधी घोषित करने पर इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 15.12.2001 को आरोपी बबलू ने उसके भाई सोमजी को चाकू से मारपीट किया था जिससे उसके पेट, पीठ में चोट आई थी। किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। आगे यह अस्वीकार किया है कि उसके भाई को गिरने से चोट आई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को घटना के समय सोमजी को मारते हुये नहीं देखा। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उक्त घटना के समय वह उसके घर पर था। आगे इस गवाह न यह भी स्वीकार किया है कि सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुँचा था उसके पहले घटना हो चुकी थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण वह पहुँचा उसके पूर्व आरोपीगण घटना स्थल से चले गये थे। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि उक्त गवह ने घटना होते हुये नहीं देखा और उक्त गवाह घटना के समय घर पर था। घटना की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुँचे तो अभियुक्तगण घटना स्थल से चले गए थे।

24— किन्तु इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के तथ्यों के फरियादी सोमजी के मुख्य परीक्षा के तथ्य अविश्सनीय नहीं माने जा सकते। बल्कि फरियादी सोमजी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके साथ बबलू और उसका छोटा भाई फत्तेसिंह था। इसी प्रकार साक्षी फत्तेसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि रास्ते में आरोपी फागू, बबलू और गोपाल मिले और तीनों ने उसके भाई सोमजी के साथ मारपीट करने लगे मारपीट से उसके भाई को काफी चोटें आई थी। इस प्रकार फरियादी सोमजी एवं इस गवाह के साक्ष्य से यह सुसंगत दर्शित होता है कि यह गवाह उसके भाई के साथ था और घटना उसने देखा। इस प्रकार मुख्यपरीक्षा के तथ्यों को पूर्ण रूप से अविश्सनीय प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से नहीं माना जा सकता। 25— अभियोजन साक्षी भाला (अ०सा0—08) यह गवाह जप्ती पत्रक प्र0पी० 9 प्र0पी० 02, एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी० 10,11,12 में ए से ए भाग पर हस्ताक्षर

होना स्वीकार किया है और सूचक प्रश्न में इस गवाह ने स्वतः कहा है कि चाकू की जप्ती की थी। किन्तु इस गवाह ने सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में विसंगत् कथन कहे है। किन्तु उक्त विसंगत् कथनों के कारण यह नहीं माना जा सकता कि इस गवाह के समक्ष जिस चाकू से वार किया गया था। उस चाकू की विवेचना अधिकारी ने जप्ती नहीं की। क्योंकि इस गवाह से बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य भी नहीं लाए है कि इस गवाह को विवेचना अधिकारी के द्वारा डरा या धमका कर या कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए थे, बल्कि इस गवाह के द्वारा सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 9 का जो कि गुप्ती की जप्ती बताई गई है, वह प्रमाणित होती है और प्र0पी0 2 आहत सोमजी के खून लगे हुये कपडे की जप्ती भी प्रमाणित होती है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा जो सामान्य आशय के अग्रशरण में जो मारपीट की गई थी उस वस्तु की जप्ती बनाई गई है।

26— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसकी आपूर्ति में आप बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार गुप्ती से स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय आरोपीगण के साथ मिलकर बनाया जिसकी आपूर्ति में आप बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार गुप्ती से स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2 व 3 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 1 व 4 का निराकरण

27— अभियोजन साक्षी सोमजी (अ०सा०२) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे अभियुक्तगणों ने उसे किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी और उसे क्षोभ कारित किया। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी थी, किन्तु उक्त धमकी का प्रभाव फरियादी पर पड़ा हो, और जिससे उसकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ हो या वह उक्त धमकी के प्रभाव में कोई ऐसा कृत्य किया हो, वह भी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। साथ ही इस गवाह ने घटना 15/12/01 के शाम के 6 बजे की है और थाने पर सूचना उक्त दिनांक को ही 23 बजे की है जिससे भी यह स्पष्ट है कि फरियादी को दी गई धमकी का प्रभाव फरियादी पर किसी प्रकार से नहीं पड़ा, क्योंकि वह घटना होने के 5 घंटे के अंदर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस प्रकार फरियादी सोमजी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगणों के द्वारा अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया और जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 व 4 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 5 का निराकरण

28— प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर विवेचना अधिकारी प्र0आर0 सुखलाल की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उक्त साक्षी ही यह स्पष्ट कर सकता था कि अभियुक्तगण से जो लोहे की गुप्ती की जप्ती की गई थी वह प्रतिबंधित आकार की थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर सकता था कि उक्त गुप्ती लोक स्थान से जप्ती की गई थी। उक्त गवाह की साक्ष्य पेश न करने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के आधिपत्य से बिना अनुज्ञप्ति के लोहे की एक गुप्ती सार्वजनिक स्थान पर रखी पाई गई। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 5 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

29— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसकी आपूर्ति में आप बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार गुप्ती से स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने सोमजी को मारपीट करने का सामान्य आशय आरोपीगण के साथ मिलकर बनाया जिसकी आपूर्ति में आप बबलू ने सोमजी को धारदार हथियार चाकू से स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्तगण फागू तथा बबलू को भा०द०वि० की धारा 324, 326 के अपराध के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। किन्तु अभियुक्त गोपाल को भा०द०वि० की धारा 324, 326 का आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने से उसे दोषमुक्त किया जाता है।

30— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सोमजी को माँ बहन को अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सोमजी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने आपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के 13 इंच लंबी मुठ वाली लोहे की गुप्ती सार्वजनिक स्थान में रखी। इस प्रकार अभियुक्तगण फागू, बबलू, गोपाल को भा0द0वि0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)(बी) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

31— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री के०एल० सोलंकी द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्तगण कम उम्र के होकर परिवार के कर्ताधर्ता सदस्य है। अभियुक्त गरीब व निर्धन व्यक्ति है उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया, इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

32— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्तगण को भा0द0वि० की धारा—326, 324 के अपराध में दोषसिद्ध किया है और अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सोमजी को छाती एवं पेट में गुप्ती से मारकर स्वेच्छया उपहित एवं स्वेच्छया घोर उपहित कारित की गई है। जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है और भादिव की धारा 326 कारावास के साथ अर्थदण्ड का आज्ञापक उपबंध है। अभियुक्तगण को कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। साथ ही भा0द0वि0 की धारा 324 के अपराध से भा0द0वि0 की धारा 326 का अपराध गुरोत्तर प्रकृति का है। इस कारण भा0द0वि0 की धारा 326 के अपराध में ही दंडित किया जा रहा है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

| कं | अभियुक्तगण | धाराऍ | | अर्थदण्ड के व्यति— कम में कारावास |
|----|------------|--------------|---|--|
| 1. | बबलू, फागू | 326 भा.द.वि. | अभियुक्तगण को 3-3 (तीन-तीन) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 / -,300 / -(तीन- तीन सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। | के व्यतिक्रम पर 2–2 (दो–दो) माह का सश्रम कारावास से भुगताया जावे। |

33— दी गई सश्रम कारावास की सजा साथ—साथ भुगताई जावे। यदि अभियुक्तगण रिमांड या विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरूद्ध रहा हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

34— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी सोमाजी को 400/— रूपये प्रदान किया जावे औरशेष राशि राजसात की जावे।

35— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक लोहे गुप्ती मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

36— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0